



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता-प्रयागराज वृत्त

50/6, अलोपीबाग, प्रयागराज-211006

E-Mail:- seprayagrajupavp@gmail.com



पत्र सं०:- 249

/ 20-08

/ 18

दिनांक- 17/02/2026

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में विद्युत/यांत्रिक कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत तथा समान कार्यों के अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से निर्माण खण्ड प्रयागराज-02, प्रतापगढ़ में दू बिड पद्धति पर परिषद की वेबसाइट www.upavp.in तथा राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार आनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं जो कि दू बिड प्रणाली के अन्तर्गत ई-प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन प्रणाली द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रयागराज-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, प्रतापगढ़ में खोली जायेगी। कार्यों की मात्राएं बी०ओ०क्यू० के अनुसार होगी।

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु० में+ जी०एस०टी०)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	श्रेणी	खण्ड कार्यालय का नाम जहां निविदा खोली जानी है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अवस्थापना निधि के अन्तर्गत जनपद-प्रतापगढ़ में क्षेत्राधिकारी द्वारा चिन्हित 11 नग चौराहों पर (घंटाघर चौराहा, निर्मल तिराहा, भंगवा चौराहा, राम-राम चौराहा, जेल तिराहा, ठठेरी बाजार, रेलवे स्टेशन मोड़, घिलबिला चौकी, जिला अस्पताल गेट, कपूर चौराहा एवं विक्रम चौराहा पर) सी०सी०टी०वी० संयंत्र स्थापना का कार्य।	बी०ओ०क्यू० के अनुसार	52.99	1.05	3000.00 + 18% GST	06 months	श्रेणी-III	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नि०ख० प्रयागराज-02, प्रतापगढ़।

ई-निविदा हेतु महत्वपूर्ण तिथियां :-

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download start date	20.02.2026 (5:00PM)
Document Download End date	20.03.2026 (3:00PM)
Bid submission start date	20.02.2026 (5:00PM)
Bid submission End date	20.03.2026 (3:00 PM)
Technical Bid Opening date	20.03.2026 (3:30 PM)
Financial Bid Opening date (For Two Bid)	To be declared after opening technical bid and their verification

नियम व शर्तें-

- निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अलग-अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत है :-

खाताधारक का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई०एफ०एस०सी० कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, प्रयागराज-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, प्रतापगढ़।	इण्डियन बैंक	वायागंज, प्रतापगढ़	20427943237
			IDIB000P673

- यदि किसी ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिविलीटी) जमा की गयी है तो निविदा के साथ मांगी गयी धरोहर धनराशि से नियमानुसार छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर०टी०जी०एस० का यू०टी०आर० के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- निविदादाता फर्म का आयकर एवं श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है, जो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों/फर्मों द्वारा ही आनलाईन निविदा डाली जा सकती है।

6. निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा मिट्टी, रीण्ड, स्टोन गिट/बैलारट इत्यादि पर रायल्टी भुगतान की रसीद/साथ प्रस्तुत करने पर एवं रायतापन उपरान्त ही बिल का भुगतान अनुमत्त होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी। शारनादेश संख्या-33015-2015-2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करता है, तो निर्धारित रायल्टी की धनराशि नियमानुसार फर्म के देयक से वसूल की जायेगी।
7. निविदा की वित्तीय बिड के साथ दशों के तीन माह की कैता हेतु रु० 100.00 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
8. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन के समय रु० 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करने एवं रु० 10.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा, कि यदि स्टाम्प की अतिरिक्त देयता होगी तो ठेकेदार ही वहन करेगा।
9. निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्रचलित आईएसओ कोड की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार करनी होगी तथा आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. उ०प० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक रायिदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगी।
11. निविदा की बी०ओ०व्यू० में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
12. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु वांछित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
13. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/ठेकेदारों/फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें, क्योंकि बाद में स्थल के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य नहीं होगा।
14. कार्य सम्पादन के दौरान सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म का होगा।
15. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
16. निविदादाता/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रयागराज-01, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, प्रयागराज के पक्ष में बंधक बनवाकर जमा करनी होगी।
17. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप में माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
18. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पार जानने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
19. निविदादाता/फर्म का जी०एस०टी के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है, जो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
20. ठेकेदार/फर्म के देयक से नियमानुसार, आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये जायेंगे की कटौती की जायेगी। फर्म को नियमानुसार जी०एस०टी० अलग से देय होगी।
21. अनुबन्ध प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
22. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
23. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/उ०प्र० जल निगम/उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
24. जी०पी०डब्ल्यू० फार्म-9 एवं ई-निविदा सूचना अनुबन्ध का हिस्सा होगा तथा उसमें उल्लिखित नियमों व शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
25. ठेकेदार/फर्म द्वारा अनुबन्धित कार्य को नगर निगम प्रयागराज को मेन्टेनेन्स हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा। जिसके उपरान्त ही अन्तिम भुगतान किया जायेगा एवं सिव्योरिटी की धनराशि, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट निर्गत होने के उपरान्त ही नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।
26. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह में अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
27. निविदादाता की निविदा के साथ निर्धारित वैध प्रमाण पत्र (टी-4, टी-5, टी-6) की स्कैन की प्रति आनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।
28. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
29. शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 ऑडिट/08 टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी०ओ०व्यू० की दरों से Below दर होने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त सिव्योरिटी/परफारमेन्स गारन्टी निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
A. 10% तक Below दर पर 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
B. 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
30. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
31. तकनीकी बिड की चेक लिस्ट के अनुरूप मांगे गये सभी दस्तावेज को अपलोड करने पर ही दरें मान्य होंगी, यदि दस्तावेज सही नहीं पाये जाते हैं, तब निविदा को सील कर दिया जायेगा तथा ऐसे निविदादाता की फाईनलिज्ड बिड नहीं खोली जायेगी।
32. निर्माण कार्य में विलम्ब एवं उसकी गुणवत्ता में यदि कोई कमी/प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
33. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र नियंत्रक अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय के जनपद में अर्थात् निर्माण खण्ड, प्रयागराज-02 हेतु जनपद-प्रतापगढ़ होगा।
34. निर्माणाधीन राडक के आस-पास के भवनों के टूट-फूट के सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा। इसे सुनिश्चित करने का शपथ पत्र रु० 100.00 के स्टाम्प पेपर पर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
35. निर्माण कार्य हेतु तकनीकी बिड के साथ निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने का साप्ताहिक माइलस्टोन/साप्ताहिक बार चार्ट ठेकेदार को संलग्न करना होगा तथा रु० 100.00 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर बारचार्ट के अनुरूप एवं अनुबन्धित अवधि में कार्य पूर्ण करने का शपथ पत्र देना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
36. निविदादाता टेक्निकल बिड का भली-भाँति अध्ययन करते हुए सभी वांछित आवश्यकताओं/औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक प्रपत्र संलग्न करे, जिनमें चेकलिस्ट के अतिरिक्त वांछित किसी प्रपत्र की अपूर्णता पाये जाने पर भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

37. परिषद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किये गये सामग्री की ब्राण्ड सूची के अनुसार निर्माण सामग्री कार्य में प्रयोग की जायेगी।
38. निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा स्थल पर लायी गयी निर्माण सामग्री की टेस्टिंग विभाग द्वारा भी करायी जा सकती है। टेस्टिंग पर आने वाला व्यय की कटौती फर्म के बीजक से की जायेगी।
39. निविदादाता द्वारा कार्य में प्रयोग किये जा रहे उच्च गुणवत्ता के जल की व्यवस्था रखी करनी होगी तथा कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रयोग किये जा रहे जल का टेस्ट सर्टिफिकेट अनुमोदित संस्था से प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
40. उक्त कार्य हेतु एन0जी0टी0 के नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु ठेकेदार/ फर्म द्वारा निर्धारित स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
41. निविदादाताओं के वर्तमान में परिषद में चल रहे कार्यों की प्रगति (परफार्मेंस) संतोषजनक न होने/विलम्बित होने सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
42. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

पृष्ठ सं० : 279 / उक्त/

18 दिनांक : 17/02/2026

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (म०), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
3. इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को परिषद की वेबसाइट पर प्रचारित प्रसारित करने हेतु।
4. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रयागराज-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, प्रतापगढ़।
5. सहायक अभियन्ता (तक०)/अवर अभियन्ता (तक०), प्रयागराज वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, प्रयागराज।
6. सहायक लेखाधिकारी, निर्माण खण्ड प्रयागराज-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, प्रतापगढ़।
7. नोटिस बोर्ड।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(एम०एच० इकबाल)
अधीक्षण अभियन्ता
17/02/26

[Handwritten signature]
अधीक्षण अभियन्ता
17/02/26